न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां, आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या :– 14 / 2020
आरसीएमएस नं.:–2020 / 00014

सुरेन्द्र कुमार पुत्र हेतराम जाति स्वामी निवासी किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

––अपीलांट

बनाम

1. गोपाल
2. मोमन
3. गणेश
4. शिशपाल
5. कृष्ण
6. धर्मपाल

} पि0 रामदास जाति स्वामी निवासी किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–असल रेस्पोडेण्ट

7. रामकुमार पुत्र देवादास
8. हजारीदास पुत्र देवादास
9. प्रेमादास पुत्र देवादास
10. धनादास पुत्र देवादास
11. पप्पूदास पुत्र देवादास
12. बिरबलदास पुत्र देवादास
13. किस्तूरी बेवा हेतराम पुत्र देवादास
14. राजेन्द्र पुत्र हेतराम पुत्र देवादास
15. सुनीता पुत्री हेतराम पत्र देवादास
16. गीता पुत्री हेतराम पुत्र देवादास

} अकवाम स्वामी निवासी किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ

17. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर
18. उपपंजीयक कार्यालय रावतसर तहसील रावतसर

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

(2) अपील संख्या :– 218 / 2022
आरसीएमएस नं.:–2022 / 218

सुरेन्द्र कुमार पुत्र हेतराम जाति स्वामी निवासी किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

—अपीलांट

बनाम

1. गोपाल
2. मोमन
3. गणेश
4. शिशपाल
5. कृष्ण
6. धर्मपाल

पि0 रामदास जाति स्वामी निवासी किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–असल रेस्पोडेण्ट

7. रामकुमार पुत्र देवादास
8. हजारीदास पुत्र देवादास
9. प्रेमादास पुत्र देवादास
10. धनादास पुत्र देवादास
11. पप्पूदास पुत्र देवादास
12. बिरबलदास पुत्र देवादास
13. किस्तूरी बेवा हेतराम पुत्र देवादास
14. राजेन्द्र पुत्र हेतराम पुत्र देवादास
15. सुनीता पुत्री हेतराम पत्र देवादास
16. गीता पुत्री हेतराम पुत्र देवादास

अकवाम स्वामी निवासी किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ

17. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर
18. उपपंजीयक कार्यालय रावतसर तहसील रावतसर

—तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.02.2020
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर।
प्रकरण संख्या 182 / 2020 बअनवानी "चेतराम बनाम बृजलाल आदि"

उपस्थितिः–
श्री मांगेराम गोदारा अभिभाषक, अपीलांट
श्री विजय कौशिक अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (रा.)

श्री राजेश कौशिक अभिभाषक रेस्पो० सं० 8

निर्णय

दिनांकः– 10.XI.22

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का एक प्रस्तुत किया जिसमें कथन कियाकि चक 2 केकेएम के खाता सं0 48/22 तथा रौही मौजा किकरालिया के खाता सं0 128/31 में दर्ज भूमि वादी व प्रतिवावदीगण संख्या 7 ता 16 की भूमि है, जो संवत 2012 से पूर्व से लगातार आज तक पहले देवादास व अब उसके वारिसों वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 7 ता 16 के कब्जा में चली आ रही है। परन्तु सैटलमेन्ट विभाग के आलाधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर विधि विरूद्ध तरीके से उक्त भूमि को देवादास 1/2 हिस्सा व रामदास 1/2 हिस्सा दर्ज करवा लिया इसलिए प्रश्नगत भूमि में रामदास के वारिसों प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का नाम कलमजन करवाकर भूमि मुताबिक हक व हिस्सा देवादास के वारिसों प्रतिवादी संख्या 7 ता 16 प्रत्येक 1/7 हिस्सा तथा 1/7 हिस्सा वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं0 13 ता 16 के नाम संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा दर्ज करवाने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुए प्रश्गनत भूमि देवादास व रामदास की संयुक्त रूप से बंजड़ से निकाली हुई भूमि होने का कथन किया एवं वाद की मद सं0 2 की भी स्वीकार की एवं 15 बीघा भूमि जरिये बैयनामा 24.09.1970 को देवादास ने रामदास को बैय किये जाने पर देवादास की 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि एवं रामदास की 35 बीघा 6 बिस्वा भूमि होने का कथन करते हुए प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने जमाबन्दी दुरूस्त करवाकर अपने नाम चक 2 केकेएम 'ए' में 2.745 है0 में से 2.308 व चक किकरालिया बारानी की 7.284 है0 में से 6.501 है0 ब0हि0ब0 दर्ज करवाने का अनुतोष मांगा इसी अनुसार खाता विभाजन का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने वाद वादी खारिज कर काउण्टर क्लेम प्रतिवादी सं0 1 ता 6 को स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने वाद खारिज होने एवं काउण्टर क्लेम स्वीकार होने के आदेश के विरूद्ध दो अलग अलग अपीलें पेश की हैं। दोनों अपीलें एक ही आदेश के विरूद्ध पेश होने के कारण इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनां पत्रावलियों में पृथक पृथक रखी जावे।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तनकी नं. 1 को सिद्ध करने का भार वादी पर था जिसे सिद्ध करने हेतु वादी ने विचारण न्यायलाय के समक्ष जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2015 प्रदर्श 3 प्रस्तुत की थी। जिससे स्पष्ट था कि प्रश्नगत ख. नं. 111/1 की 40 बीघा 12 बिस्वा जिसमें जिसमें 39 बीघा 16 बिस्वा मुमकिन व 16 बिस्वा गे0 मुमकिन देवादास वल्द मलूदास के अकेले के नाम दर्ज है खसरा गिरदावरी प्रदर्श 5 सन् 1951 से 54 नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029 से 38 प्रदर्श

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6 पट्टा भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श–7 व नकल गिरदावरी प्रदर्श 8 ता 14 से प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के दादा देवादास अकेले की नोतोड़ करदा एवं काश्त की भूमि होना सिद्ध थी। विचारण न्यायलाय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का कोई विवेचन नहीं किया है। तनकी के निर्णय में यह लिखा है कि – "देवादास व रामदास दोनों सगे भाई थे तथा प्रस्तुत गिरदावरियों व राजस्व रिकार्ड में दोनों का नामकाफल दस्तावेजों में समानान्तर चला आ रहा है" जबकि ऐसा कतई नहीं था भू प्रबन्ध विभाग का पर्चा खतौनी में देवादास वल्द मलूदास का नाम था की प्रश्नगत भूमि 39 बीघा 16 बिस्वा में बतौर खातेदार नाम अंकित है जो पूर्व में चली आ रही प्रविष्टी के अनुसार ही दर्ज था परन्तु किसी अन्य की हस्तलिपि द्वारा बाद में रामदास का नाम अंकित किया गया है। अपीलाण्ट ने हस्तलिपि विशेषज्ञ की रिपोर्ट भी विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 14 के साथ प्रस्तुत की रिपोर्ट भी विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के साथ प्रस्तुत की थी, जिसे भी अभिलेख पर लिया गया परन्तु उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जहां तक प्रश्नगत भूमि में से 15 बीघा भूमि के दिनांक 24.09.1974 के बेयनामा का प्रश्न है अपीलाण्ट के द्वारा वाद प्रस्तुत करने के बाद जैसे ही प्रतिवादीगण 1 ता 6 के द्वारा जरिये काउण्टर क्लेम जवाब में तथा कथित बेयनामा का उल्लेख किया अपीलाण्ट ने सिविल न्यायालय में प्रश्नगत बैयनामा को चुनौती दी एवं माननीय अपर न्यायाधीश संख्या 1 नोहर के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.09.2016 से अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन स्वीकार कर अपीलाण्ट के हक में स्थगन आदेश जारी किया है। विचारण न्यायालय प्रश्नगत बैयनामा के संबंध में किसी प्रकार की कोई अवधारणा कायम नहीं कर सकता था, नाही विवादक संख्या 1 का निर्णय अपीलाण्ट के खिलाफ कर सकता है। इसी प्रकार विवादक संख्या 2 का निर्णय भी विधि विरूिद्ध किया है। अपीलाण्ट ने तथाकथित बैयनामा से इंकार किया है फिर भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 6 को प्रश्नगत भूमि के खातेदारी अधिकार दिये गये हैं वो विधि विरूद्ध है। विवादक संख्या 3 जिसका सिद्ध भार प्रतिवादी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 6 पर था जिसे वे किसी भी प्रकार से सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। परन्तु अधीनस्थ न्यायलाय ने दस्तावेजी साक्ष्यों पर गोर ना कर उक्त विवादक का निर्णय रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 के पक्ष में गलत निर्णित किया है। उक्त दोनों विवादक के विवेचन में विचारण न्यायालय ने देवादास व रामदास के नाम प्रश्गनत भूमि किस दस्तावेज से ब0हि0ब0 होना स्वीकार की है किसी विशिष्ट दस्तावेज का जिक्र नहीं किया ना ही जमाबंदी व गिरदावरी में अंकित प्रविष्टी का कोई उल्लेख किया है। उक्त दस्तावेज के बाद सैटलमैंट द्वारा तैयार किये दस्तावेजात में देवादास व रामदास किस प्रकार से 1/2–1/2 हिस्सा के खातेदार अंकित हुए जबकि तथाकथित बैयनामा जिसे अपीलाण्ट स्वीकार नहीं करता है के आधार पर प्रश्नगत भूमि में से देवादास द्वारा विचारण न्यायालय ने 15 बीघा भूमि का विक्रय रामदास के नाम मानता है तो भी प्रश्नगत बैयनामा चुनौतीग्रस्त होते हुए भी विचारण न्यायलाय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार की उद्घोषणा कतई गलत रूप से

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रदान की है जो किसी भी सूरत में कायम रखने योग्य नहीं है। बैयनामा का कभी भी एक्जीक्यूशन नही हुआ ना ना ही कब्जा दिया गया, 49 वर्षो से बैयनामा का नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ। बैयनामा नुमाईशी है इसका सिविल न्यायालय में वाद भी विचाराधीन है एवं स्थगन भी है। रिकाडेर्ड खातेदार की भूमि पर अन्य खातेदार का नाम भू प्रबन्ध विभाग नहीं कर सकता है और वह किसी परिवर्तन हेतू अधिकृत नही है। पर्चा लगान में रामदास के नाम 1/2 दर्ज किया है वह अंकन मूल अंकन से भिन्न अंकन भिन्न लेखनी से अंकित किया गया है जो फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट से ही स्पष्ट है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के नवीनतम दृष्टान्त के अनुसार वाद पत्र को खारिज किये जाने एवं काउण्टर क्लेम को डिक्री किये जाने के सम्बन्ध में अलग अलग अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसलिए अपीलाण्ट ने सद्भावना पूर्वक वाद पत्र में पारित कए ही डिक्री के विरूद्ध जिसमें अपीलाण्ट का वाद पत्र खारिज किया जाकर रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का काउण्टर क्लेम डिक्री किया गया है के एक विरूद्ध एक ही अपील प्रसतुत कर दी तथा प्रक्रिया सम्बन्धी दौष के निवारण के लिए काउण्टर क्लेम की पृथक से अपील पेश की है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2022 डीएनजे पेज 121 डीबी, 2008 आरआरडी पेज 151, 2015 आरआरटी पेज 1 एचसी, 1988 आरएलआर पेज 609, आरएलआर 1984 पेज 791, 1997 आरबीजे पेज 113,, 2022 डीएनजे पेज 459 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 से 5 ने अपनी बहस में कथन कियाकि देवादास व रामदास जो दोनों से भाई थे कि ब0हि0ब0 बंजड़ से निकाली हुई भूमि थी। जमाबन्दी में अकेले देवादास का नाम गलत दर्ज था जो बाद मे सही दर्ज हो गया। इसी अनुसार हमेशा से कब्जा काश्त रहा है। मृतक देवादास उक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि हमेशा अपने भाई रामदास की तसलीम करता आया है तथा उक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि हमेशा अपने भाई रामदास की तसलीम करता आया है तथाउक्त भूमिं से 15.00 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 24.09.1970 को देवादास ने रामदास को बैय कर दी थी तथा इस प्रकार उक्त भूमि में से देवाराम की 5.06 बीघा भूमि हुई तथा रामदास की 35.06 बीघा भूमि हुई है। देवादास ने अपनी उक्त भूमि में से 15 बीघा भूमि का बैयनामा रामदास के पक्ष में करवा दिया तथा इस प्रकार उक्त भूमि में मृतक रामदास 35 बीघा भूमि का हकदार हो गया। आराजी जरई मौजा किकरालिया के साबिका ख. नं. 111 में 39.16 बीघा भूमि मुमकिन व 0.15 बीघा गैरमुमकिन कुल 40.12 बीघा भूमि देवादास व रामदास पि0 मलूदास की ब.हि.ब. बंजड़ से निकाली हुई थी तथा अन्य खसरों में हजारीदास के साथ भूमि थी तथा उक्त भूमि रोही मौजा किकरालिया की साबिका ख. नं. 111 में 40.12 बीघा मृतक देववादास पूत्र मलूदास ने जरिये बैयनामा दिनांक 24.09.1974 को प्रतवादी नं. 1 ता 6 के पिता को बैय कर दी इसी दिन भूमि का कब्जा काश्त भी रामदास को संभला दिया। वर्तमान में प्रतिवादी नं. 1 ता 6 के नाम दर्ज है जिससे प्रतिवादी नं. 1 ता 6 के खातेदारी हकूक का हनन होता है

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जिससे प्रतिवादी नं. 1 ता 6 अपने खातेदारी दर्ज करवाने अपने हकूक की घोषणा करवाने व जमाबन्दी दुरूस्त करवाने का हकदार है। विचारण न्यायालय ने समस्त दस्तावेजों का अवलोकन तनकीवाईज विवेचन करते हुए विस्तृत निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने काउण्टर क्लेम के विरूद्ध अपील मियाद बाहर प्रस्तुत किया है। देरी का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 505 व 326, आरआरडी 1994 पेज 98, आरआरडी 2003 पेज 223, आरबीजे 2021 पेज 278 का न्यायिक द

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
7. बहस में आये तथ्यों के अनुसार
8.
9. अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत ख. नं. 111/1 की 40 बीघा 12 बिस्वा जिसमें जिसमें 39 बीघा 16 बिस्वा मुमकिन व 16 बिस्वा गे0 मुमकिन देवादास वल्द मलूदास के अकेले के नाम दर्ज है खसरा गिरदावरी प्रदर्श 5 सन् 1951 से 54 नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029 से 38 प्रदर्श 6 पट्टा भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श–7 व नकल गिरदावरी प्रदर्श 8 ता 14 से प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के दादा देवादास अकेले की नोतोड़ करदा एवं काश्त की भूमि होना सिद्ध थी, जबकि रेस्पोडेण्ट का कथन है कि देवादास व रामदास जो दोनों से भाई थे कि ब0हि0ब0 बंजड़ से निकाली हुई भूमि थी। जमाबन्दी में अकेले देवादास का नाम गलत दर्ज था जो बाद मे सही दर्ज हो गया। इसी अनुसार हमेशा से कब्जा काश्त रहा है। मृतक देवादास उक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि हमेशा अपने भाई रामदास की तसलीम करता आया है तथा उक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि हमेशा अपने भाई रामदास की तसलीम करता आया है तथाउक्त भूमिं से 15.00 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 24.09.1970 को देवादास ने रामदास को बैय कर दी थी तथा इस प्रकार उक्त भूमि में से देवाराम की 5.06 बीघा भूमि हुई तथा रामदास की 35.06 बीघा भूमि हुई है। इस प्रकरण में प्रश्नगत 15.00 बीघा भूमि देवादास ने रामदास को जरिये बैयनामा दिनांक 24.09.1974 को बैय करने का कथन आया है। अपीलांट का कथन है कि उक्त बैयनामा को सम्पादित नही किया गया है तथा उक्त बैयनामा फर्जी व कूटरचित है तथा इस प्रकार वादी द्वारा जो आधार लिया गया है उसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायलाय को है। रजास्व न्यायालय को को बैयनामा शुन्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। जब तक बैयनामा शून्य घोषित नहीं किया जाता है तब तक यही माना जायेगा की उक्त बैयनामा सही है एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 6 को इस बैयनामा दिनांक 24.09.1970 के आधार पर अपने पक्ष में प्रश्नगत भूमि के अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकार है। रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने भारतीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 का हवाला देकर कथन किया कि केाई भी दस्तावेज जो 30 वर्ष पुराना है उसकी उपधारण यह की जाये कि वह एक सही दस्तावेज है जबकि प्रतिवादी नं. 1 ता 6 के पिता के पक्ष में देवादास के द्वारा जो बैयनामा करवाया गया है वह दस्तावेज 50 वर्ष पुराना है। उक्त बैयनामा को देवादास ने अपने जीवनकाल में कभी भी चुनौती नहीं दी है और आरआरडी 1977 पेज 637 के अनुसार भी राजस्व न्यायलाय को बैयनामा को कैंसिल करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकरण में बैयनामा को शुन्य घोषित करवाने हेतु अपीलाण्ट ने माननीय सिविल न्यायालय में वाद पेश कर रखा है जो विचाराधीन है, जिसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। देवादास के द्वारा जो बैयनामा करवाया गया है वह दस्तावेज 50 वर्ष पुराना है। उक्त बैयनामा को देवादास ने अपने जीवनकाल में कभी भी चुनौती नहीं दी है। बैयनामा किसी न्यायालय द्वारा अभी तक शून्य घोषित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गिरदावरीयों व राजस्व रिकार्ड मे में रामदास व सेवादास का नाम दस्तावेजों में समानान्तर चला आ रहा है तथा इस प्रकार दोनों भाई उक्त भूमि के बहिस्सा बराबर के मुश्तर्का खातेदार काश्तकार थे। जहां तक अपीलाण्ट का यह कथन कि पर्चा लगान में रामदास द्वारा कांट छांट की गई है इस संबंध में न्यायालय का मत है कि मूल पर्चा लगान रामदास की कस्टडी में नहीं था बल्कि मूल पर्चा लगान स्वयं देवादास की कस्टडी में था तथा वादी द्वारा ही उक्त दस्तावेज को प्रस्तुत किया गया है तो ऐसे स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि उक्त दस्तावेज में काट छांट रामदास के द्वारा की गई है जबकि उक्त पर्चा लगान से पहले के जो दस्तावेज प्रतिवादी नं. 1 ता 6 ने प्रस्तुत किये हैं उनमें रामदास व देवादास दोनों का नाम दर्ज है तथा इसी आधार पर पर्चा लगान बना है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपील वादी का वाद खारिज कर प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.02.2020 यथावत रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 10.XI.22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/XI/22

(करतार सिंह पुनिया)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़